न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, (म.प्र.)

सर्किट कोर्ट रीवा, (म.प्र.)

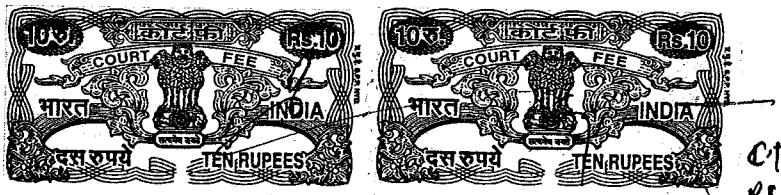

देवनाथ तनय दसई अहिर उर्फ हीरालाल, उम्र 57 वर्ष, निवासी ग्राम बंजारी, तहसीलदेवसर, जिला सिंगरौली, (म.प्र.)

.... आपेदक / पुर्नविलोकनकर्ता

बनाम

1. शासन मध्यप्रदेश।
2. सुखसेन पिता रमदमन सिंह गोड़, निवासी ग्राम हरिहरपुर, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली, (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

पुर्नविलोकन माननीय न्यायालय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, (म.प्र.) के प्र.क्र. 480–1 / 2012–13, आदेश दिनांक 10.05.2013

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है :–

1. यह कि विवादित आराजी नं. 95 रकबा 0.077 हे., आ.नं. 96 रकबा 0.018 हे.0, आ.नं. 145 रकबा 0.052 हे. आ.नं. 146 रकबा 0.040 हे. आ.नं. 147 रकबा 0.011 हे., कुल किता 5, कुल रकबा 1.98 हे., स्थित ग्राम हरिहरपुर, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली तत्कालीन जिला सीधी का व्यवस्थापन समीपस्थ देवनाथ तनय हीरालाल अहिर, निवासी ग्राम बंजारी, तहसील देवसर, जिला सीधी, वर्तमान जिला सिंगरौली के नाम किया गया था। उक्त आदेश जरिये प्रकरण क्र. 650 / अ–19 / 1988–89

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक Review 3279–तीन / 13 जिला सिंगरोली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–10–2015	प्रकरण में आवेदक अभिभाषक श्री राकेश कुमार निगम आवेदक की ओर से उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रमुख रूप से वही तर्क प्रस्तुत किये जो निगरानी मेमों में अंकित थे जिन्हें यहां पुनरांकित न करते हुए उन पर विचार किया गया है । आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेशों का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार प्रकरण में आवेदक अभिभाषक द्वारा उठाये गये सम्पूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला जाकर पूर्ण विचार किया गया है । प्रकरण में मुख्य रूप से यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदक द्वारा ग्राम बजारी तहसील देवसर की भूमि को देवनाथ पिता दसई अहीर के नाम से आबंटित कराया तथा ग्राम हरिहरपुर की भूमि को देवनाथ पिता हीरालाल अहीर के नाम से, इस प्रकार दोनों ही भूमियों को आबंटित कराते समय अपने पिता का नाम बदल कर शासन के साथ धोखाधड़ी एवं छलकपट कर बंटन कराया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ही प्रमाणित हो रहा है । आवेदक का यह कृत्य आपराधिक प्रवृत्ति का होने से बेहद आपत्तिजनक है । इस प्रकरण में इस तथ्य से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि जब आवेदक देवनाथ द्वारा बंटन हेतु आवेदन पत्र दिया गया तथा बंटन की कार्यवाही करते समय इस तथ्य की	

जांच क्यों नहीं की गई, कि आवेदक देवनाथ द्वारा जो तथ्य बंटन के समय प्रस्तुत किये गये हैं, वह सही है या गलत, निश्चित ही बंटन के समय कार्यवाही करते समय कार्यरत जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा भी अपने पदीय दायित्वों का निर्वाह पूर्ण निष्ठा से करने में लापरवाही करते हुए तथा पदीय निष्ठा के विपरीत कार्य करते हुए छलकपट पूर्ण कार्यवाही में सहायक होकर धोखाधड़ी कर शासकीय भूमि को बंटित कराने में सहयोग किया जाना स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है, जबकि अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को चाहिए था कि वे पूर्ण सजग होकर कार्यवाही करते जिसका पूर्णतः अभाव देखा गया है ।

जहां तक समय सीमा के बिन्दु पर विचार का प्रश्न है, तो राजस्व मण्डल के पूर्व आदेश दिनांक 10–5–13 के पैरा 6 में वर्णित न्याय दृष्टांत का हवाला लेते हुए, तथा प्रकरण में फ्रॉडफुल तरीके से शासकीय भूमि का व्यवस्थापन हुए होने के निष्कर्ष के दृष्टिगत, इस बिन्दु (समय सीमा के बिन्दु) का निराकरण यह लिखते हुए किया गया है कि 'स्वप्रेरणा निगरानी हेतु एक वर्ष की अवधि सीमा unreasonable होगी', जिसमें मुझे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं लग रही है ।

कलेक्टर सिंगरोली को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त प्रकरण में उक्त छलकपट एवं धोखाधड़ी में सहयोग कर भूमि को बंटित करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका की उन्हें चिन्हाकिंत एवं नामांकित कर जांच करें तथा दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही करें। साथ ही आवेदक देवनाथ के विरूद्ध भी शासन के साथ धोखाधड़ी की जाकर शासकीय भूमि प्राप्त करने के लिए आपराधिक कार्यवाही की जावें, तथा की गई कार्यवाही से राजस्व मण्डल को अवगत कराया जावें ।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में मेरे पूर्ववर्ती सदस्य द्वारा जारी किये गये आदेश में आवेदक द्वारा उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर प्रकाश डाला जाकर स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से अग्राह्य किया जाता है । पक्षकार सूचित हो । प्र0दा0रि0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य